न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 28 / 2024
जीसीएमएस न :– 2022 / 104
दायर दिनांक :– 09.07.2024
निर्णय दिनांक :– 30.04.2025

अनवान

1– श्री गणपतसिंह पिता वदनसिंह जाति परमार निवासी थोरियावास, तहसील गढ़बोर जिला राजसमन्द

अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गढबोर तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार महोदय गढबोर

पत्रावली सख्या 02 / 2024 दिनांक 25.06.2024

उपस्थित :–

1– श्री एस. एस. पालीवाल अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री अनिल बागोरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित करने में विधि सम्बन्धी एवं तथ्य सम्बन्धी भूल की है कि गॉव थोरियावास की आराजी संख्या 688 रकबा 1.3828 में से 0.6158 हैक्टेयर किस्म मगरी एवं आराजी संख्या 0.7670 हैक्टेयर किस्म बाडा दर्ज हैं। अपीलान्ट को जो धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का सूचना पत्र जारी किया उसमे आराजी संख्या 688 रकबा 0.0045 हैक्टेयर भूमि किस्म बिलानाम मगरी बाडा लिखते हुए जारी किया गया। आराजी संख्या 688 की भूमि में से अपीलान्ट के पिता वदन सिंह पिता भंवर सिंह जी को बाडे हेतु 6

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द

बिस्वा भूमि आंवटित होकर उपयोग उपभोग में है। जिनमे से 3 बिस्वा भूमि पर अपीलाट के पिता ने वदनसिंह जी ने मकान बना रखा हैं तथा 3 बिस्वा भुमि अपीलान्ट को उपयोग उपभोग हेतु दे रखी है, आराजी संख्या 688 में से अपीलान्ट के पिता को आवंटित बाडे के नम्बर 688/4 एवं 688/16 हैं यह कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के परिपत्र के अनुसरण में उपरोक्त आंवटित बाडे जो राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदारी या खातेदारी में दर्ज रहे उन्हे जमाबन्दी में दर्ज रहे उन्हे जमाबन्दी में खातेदारी या गैर खातेदारी नाम के अंकन को विलोपित करने का परिपत्र जारी किया गया था, बाडे की भूमि को आधिपत्य व उपयोग उपभोग आवंटि का ही रहा और तहसीलदार को इन बाडो के कब्जे की लिस्ट को अंकन अपने रिकार्ड में करना था परन्तु तहसीलदार साहब ने परिपत्र का गलत आशय लगा नामान्तरकरण खारिज करने का जो आदेश दिया वह प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य हैं और उक्त नामान्तरकरण खारीज करने से पूर्व अपीलान्ट के पिता को बिना सुचित किये व सुने प्राकृतिक न्याय के विपरित आदेश पारित कर उक्त बाडो की भूमि को बिलानाम अंकित कर दिया जो कि अवैध व शुन्य हैं। आवंटित बाडो के संबंध में धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत् तहसीलदार साहब को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था अपने अधिकारो से परे जाकर अपीलान्ट के पिता के हक अधिकार के बाडे के संबंध में अपीलान्ट का नाजायज कब्जा का जो सूचना पत्र दिया वह प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य हैं। उक्त अवैध व शुन्य सुचना पत्र के पश्चात् अपीलान्ट को समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया गया और अधिनस्थ न्यायालय ने ताब्डतोड अपीलान्ट को अधिवक्ता करने व विधिक सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट के ग्रमीण सीधे साधे व्यक्ति होने एवं अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली पर हस्ताक्षर कराये और कहा कि कब्जा 694 पर हैं ये लिख कर दे दो हम कार्यवाही समाप्त कर देगें अपीलान्ट ने विश्वास में जैसा कहा वेसा कार्यवाही समाप्त होना जान हस्ताक्षर कर पेश का दिया और उसे आधार बना अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित करने मे भूल की हैं, अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 688 किस्म बाडा अंकित हैं उसके बावजुद भी अधिनस्थ आरांजीय उसके बावजुद भी अधिनस्थ न्यायालय ने इस आराजी में किस किस का बाडा अनुसार कब्जा हैं का परिपत्र के अनुसार अपने रिकार्ड में अंकित बाडो के अनुसार काबिज हैं अथवा नहीं की कोई जांच किये बिना ही आदेश पारित किया जो अवैध हैं। अपीलान्ट का अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा नहीं होकर अपने पिता आवंटित बाडे की भूमि पर कब्जा नहीं होकर अपने पिता को आवंटित बाडे की भूमि पर कब्जा हैं उक्त कब्जा अतिक्रमण की परिभाषा में आता है, उक्त सारे तथ्य अधिनस्थ न्यायालय एवं पटवारी हल्का को जानकारी में होने के बावजुद अपीलान्ट के विरूद्ध जो आदेश पारित किया वह विधि विरूद्ध होकर अवैध व शुन्य है, कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार ग्रामीणो को मकान के योजनाए बना रहे है तथा परिपत्र भी जारी किये है। जिनमे मकानो का नियमन एवं अवैध आवासीय कॉलोनीयो का भी नियमन किये जाने के प्रावधान है। अपीलान्ट के बडी मुश्कील से अपने जीवन की सारी कमाई को लगा कर उक्त मकान का निर्माण किया हैं अपीलान्ट

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द

के उक्त मकान के अलावा अन्य कोई मकान नहीं हैं। यदि अपीलान्ट का मकान गिरा दिया जाता हैं तो अपीलान्ट का परिवार बेघर बार हो जाएगा। यह कि कतिपय व्यक्ति अपीलान्ट से अनावश्यक ही द्वेष रखते और उनकी गलत शिकायतो पर अधिनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में सारी कार्यवाही कर अपीलान्ट को बिना समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही जो आदेश पारित किया व गलत हैं, यह कि आराजी संख्या 88 किस्म बाडा व मगरी में अन्य लोगो के भी मकान बने हुए हैं केवल मात्र अपीलान्ट से द्वेष रखने वाले व्यक्ति की शिकायतो के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध जो अवैध अतिक्रमण बता कार्यवाही की वह गलत है। अन्य उज्रात वक्त बहस निवेदन किये जायेगें।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की और से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ता बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने दोराने बहस बताया गॉव थोरियावास की आराजी संख्या 688 गॉव थोरियावास की आराजी संख्या 688 रकबा 0.0045 हैक्टेयर किस्म मगरी किस्म बाडा के आवंटन हुई थी उसके पश्चात सन 1992 मे जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार उक्त बाडों के आवंटन को निरस्त किया गया । इसलिये उक्त की गयी कायर्वाही धारा 91 की श्रेणी में नही आती है। जहां पर उसने अपनी भूमि के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल बनाई है, तथा मकान बना रखा है, जिस पर अपीलार्थी के पूर्वजो के समय से, काफी वर्षो से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने दोराने बहस बताया की अपीलार्थी द्वारा बिलानाम सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमी के विरूद्व जो कार्यवाही की गयी है। वह बैदखली की कार्यवाही नियमानुसार की गयी हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की प्रतिलिपी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की प्रतिलिपी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व गॉव थोरियावास की आराजी संख्या 688 रकबा 0.0045 हैक्टेयर किस्म मगरी पर अतिक्रमण किया गया,। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को पर्याप्त दस्तावेज एवं सबूत पेश करने में नाकाम रहे है। मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का गॉव थोरियावास की आराजी संख्या 688 रकबा 0.0045 हैक्टेयर किस्म मगरी भूमि पर

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द

सम्वत 2081 एक वर्ष से कब्जा हैं अपीलाण्ट द्वारा नियमित कब्जा सम्बन्धी कोई दस्तावेज ठोस सबूत साक्ष्य पेश नहीं किया गया। इस प्रकार गॉव थोरियावास की आराजी संख्या 688 रकबा 0.0045 हैक्टेयर किस्म मगरी भूमि पर अतिक्रमण करने व शास्ति 50/–रूपये आरोपित करने का अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से मै सन्तुष्ट हूँ। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हूँ। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाकर अपील अपीलाण्ट खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/04/2025

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द